



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



16 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 141 राँची, बुधवार,

6 मार्च, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

राज्यादेश

2 जनवरी, 2022

संचिका संख्या-4/स०भू० सराय०-66/2020-3766/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-**21.10.2022** में मद संख्या-**06** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत खरसावाँ अंचल के मौजा-रेंगोगोड़ा, थाना सं०-**168** के खाता सं०-**151** के प्लॉट सं०-**304** में अंतर्निहित कुल रकबा-**0.71** एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि, किस्म- पुरानी परती गैर काविल आबाद (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-**4306/रा०**, दिनांक-**24.10.2014** के आलोक में औद्योगिक प्रयोजनार्थ उच्चतर मूल्य **14,40,000/-** (चौदह लाख चालीस हजार) रुपये प्रति एकड़ की दर का निर्धारण करते हुए विभागीय संकल्प सं०-**48/रा०**, दिनांक-**03.01.2017** के आलोक में प्रस्तावित भूमि का संगणित सलामी की राशि **10,22,400/-** (दस लाख बाईस हजार चार सौ) रुपये, सलामी का एक **(01)** प्रतिशत वार्षिक लगान

10,224/- (दस हजार दो सौ चौबीस) रुपये, लगान का **75** प्रतिशत सेस की राशि **7,668** (सात हजार छः सौ अड़सठ) रुपये तथा **29** वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि **5,18,868** (पाँच लाख अठारह हजार आठ सौ अड़सठ) रुपये अर्थात् कुल देय राशि **15,59,160/-** (पन्द्रह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ **30** (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में ।

आदेश:-स्वीकृत।

इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि :-

- I. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- II. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्यवाई करेंगे ।
- III. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- IV. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- V. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकायसंस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- VI. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची कम्पनी/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जायेगी ।
- VII. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 एवं विभागीय संकल्प संख्या-48/रा0, दिनांक-03.01.2017 तथा खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

VIII.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संदीप कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक- I**प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-**

क्र०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा(एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	01/2019-20	खरसा वाँ	रेंगोगोड़ा/168	151	304	0.71	पुरानी परती गैर काविल आबाद

अनुलग्नक- II

अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए०में)	मूल्य प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में)	सलामी का 1% वार्षिक लगान(रूप ये में)	लगान का 75% सेस(रूपये में)	शेष 29 वर्षों का एकमुश्त लगान एवं सेस की राशि(रूपये में)	कुल(रूपये में)(5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/2019-20	रेंगोगो ड़ा	0.71	14,40,000/-	10,22,400/-	10,224/-	7,668/-	5,18,868/-	15,59,160/-

प्रस्तावित भूमि हेतु देय राशि की गणना :-

अर्थात् कुल देय राशि-15,59,160 /- पन्द्रह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ रूपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
